

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली (म.प्र.)

// संशोधित विविध आदेश //

क्र०-32/एक-5-1/2010,

सिंगरौली, दिनांक-21.04.2025

माननीय उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर के आदेश क्रमांक 632/गोपनीय/2025/दो-2-1/2025, जबलपुर दिनांक 27.03.2025 के द्वारा श्री आत्माराम टांक, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैदन का स्थानांतरण जिला ग्वालियर होने के कारण उक्त न्यायालय रिक्त होने से इस कार्यालय से वर्ष 2024 के लिये जारी सिविल कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 01 सिंगरौली दिनांक 30.12.2023 में निम्नलिखित आंशिक संशोधन समाविष्ट किया जाता है:-

क्र०	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	प्रकरणों का प्रकार जिनकी सुनवाई कर निराकरण किया जाना है।
1.	श्री अरुण कुमार खरादी, पंचम जिला न्यायाधीश, बैदन	सिविल जिला सिंगरौली	1. वह सभी प्रकरण जिन्हें समय समय पर जिला न्यायाधीश द्वारा अंतरित किया जाएगा। 2. थाना कोतवाली बैदन, विन्ध्यनगर, मोरवा एवं नवानगर थाना क्षेत्रों से संबंधित समस्त क्लेम प्रकरण जो मृत्यु दावे से संबंधित न हों एवं उनसे उत्पन्न विविध एवं इजराय प्रकरण। 3. बीमा कंपनियों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले मृत्यु दावा प्रकरण को छोड़कर अन्य मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण पुलिस थाना कोतवाली बैदन, विन्ध्यनगर एवं नवानगर के प्रकरण। 4- The Court of District Judge as the Principal Civil Court of original jurisdiction would be competent to decide the matters/disputes filed under the provisions to Sections 9, 14 & 36 of the Arbitration Act and also under the provisions of the Commercial Court Act,

2.	श्री अरुण कुमार खरादी, पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैढन	सत्र खण्ड सिंगरौली	1. सत्र न्यायाधीश सिंगरौली द्वारा अंतरण पर प्राप्त होने वाले सत्र प्रकरण, दांडिक अपीलें, दांडिक निगरानी एवं जमानत आवेदन पत्र। 2. उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध प्रकरण। 3. म0प्र0 किशोर न्याय(बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम 2022 के नियम 14(1)(एक) के अनुसार बालक न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय में जो बालक न्यायालय से अन्यथा होगी अपील।
----	---	--------------------	--

नोट:-

(1) मुख्यालय बैढन में पूर्व में कार्यरत् रही और वर्तमान में रिक्त समस्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाहियां न्यायालय श्री अरुण कुमार खरादी, पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बैढन जिला सिंगरौली के द्वारा संपादित की जावेंगी।

(2) मुख्यालय बैढन में पूर्व में कार्यरत् रही और वर्तमान में रिक्त समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय से संबंधित समस्त कार्यवाही न्यायालय श्री कृष्णा अग्रवाल, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बैढन द्वारा संपादित की जावेगी।

उक्त संशोधित विविध आदेश, आदेश दिनांक से प्रभावशील होगा।

—sd—
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला-सिंगरौली (म0प्र0)

पृ0 क्र0-833/एक-5-1/2010,

सिंगरौली, दिनांक-21.04.2025

1. समस्त जिला एवं अति0 सत्र न्यायाधीश, बैढन जिला-सिंगरौली म0प्र0
2. प्रस्तुतकार न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैढन जिला-सिंगरौली
3. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ बैढन जिला सिंगरौली,
.....की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

—sd—
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला-सिंगरौली (म0प्र0)